औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान बरठी, ज़िला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं् निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2015

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

संस्था के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई का सत्यापन करने के पश्चात पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गईः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2013

1	पैरा–3	समाप्त	(सहायक निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के पत्र संख्या फिन (एलए0) एच (2) (सी) (15) xi (xii) 109/02 खण्ड–1 दिनांक 28.4.14 द्वारा निर्णीत)
2	पैरा–4	समाप्त	
3	पैरा–5	समाप्त	
4	पैरा–6	समाप्त	–यथोपरि–
5	पैरा–7	समाप्त	–यथोपरि–
6	पैरा–8	समाप्त	–यथोपरि–
7	पैरा–9	समाप्त	–यथोपरि–
8	पैरा–10	समाप्त	–यथोपरि–
9	पैरा–11	समाप्त	–यथोपरि–
10	पैरा–12	समाप्त	–यथोपरि–
11	पैरा–13	समाप्त	–यथोपरि–

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरठी के छात्र निधि लेखों अवधि 4/2013 से 3/2015 तक का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं, श्री चम्बेल सिंह परमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 29.7.2015 से 1.8.2015 तक संस्थान में किया गया। इस अंकेक्षण एवं् निरीक्षण की विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 7/2013 व 7/2014 तथा व्यय के लिए माह 11/2013 व 8/2014 का चयन किया गया। अनुवर्ती पैरों

में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अपेक्षित अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया।

यह अंकेक्षण एवं् निरीक्षण प्रतिवेदन संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं एवं् अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। संस्था द्वारा प्रदत्त किसी भी गलत सूचना किसी सूचना के प्रस्तुत न करने अथवा अपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं् निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत ज़ाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित आहरण एवं् संवितरण अधिकारी संस्थान में कार्यरत्त रहेः–

क्र0सं0	**अंकेक्षण अधिकारी का नाम/पद**	**अवधि**
1	श्री कुलदीप कुमार चडड्ा, प्रधानाचार्य	1.4.2013 से 4.1.2015
2	श्री अंशुल भारद्वाज, प्रधानाचार्य	5.1.2015 से 31.3.2015

3 अंकेक्षण शुल्कः–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरठी, ज़िला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखों अवधि 4/2013 से 3/2015 तक की लेखा परीक्षा हेतु अंकेक्षण शुल्क का आँकलन ₹4000/– किया गया है। अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना सँख्या 227 दिनाँक 1.8.2015 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि रेखाँकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरठी के छात्र निधि लेखों अवधि 4/2013 से 3/2015 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण संलग्न **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

(ख) सावधि जमा में निवेशित राशियाँ जिनका विवरण निम्न पैरे में दिया गया है रोकड़ बही शेष व वित्तीय स्थिति में शामिल नहीं है।

5 निवेशः–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरठी के छात्र निधि लेखों से 31.3.2015 को निम्न राशियाँ सावधि जमा लेखों में निवेशित थीः–

क्र0 सं0	निधि का नाम	सावधि जमा संख्या	निवेश की तिथि	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि
1	परीक्षा निधि	20570310033142	5.11.14	एक वर्ष	9%	108826	5.11.15	118958
2	कम्पयूटर निधि	20570310033210	6.11.14	एक वर्ष	9%	108828	6.11.15	118958
3	ट्रेनिंग एवं पलेसमैन्ट निधि	20570310033159	5.11.14	एक वर्ष	9%	54654	5.11.15	59741
4	पानी एवं बिजली निधि	20570310033166	5.11.14	एक वर्ष	9%	109308	5.11.15	119483
5	विकास/भवन निधि	10630302921	3.11.14	एक वर्ष	9%	118512	3.11.15	129543
6	स्वास्थ्य निधि	10630302922	3.11.14	एक वर्ष	9%	47405	3.11.15	51818
7	परीक्षा निधि	10630302923	3.11.14	एक वर्ष	9%	47405	3.11.15	51818
8	कम्पयूटर निधि	1063302924	3.11.14	एक वर्ष	9%	47405	3.11.15	51818

सावधि जमा में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को भुनाया जाना अथवा पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सावधि जमा की राशियों को भुनाये जाने अथवा पुनः निवेश किये जाने की रोकड़ बही में प्रविष्टि की जानी एवं इन निवेशों पर प्राप्त ब्याज की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

6 ₹3000/– की कम जमा राशिः–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरठी में माह जुलाई 2013 व फरवरी 2014 में लाईब्रेरी निधि की निम्नविवरणानुसार प्राप्त राशि ₹3000/– की लाईब्रेरी निधि की रोकड़ बही एवं बैंक खाते में जमा नहीं किया गया था।

क्र0सं0	प्राप्ति की तिथि	निधि संग्रह रजिस्टर पृ0सं0	प्राप्त राशि
1	6.7.2013	62	1150
2	9.7.2013	63	150

3	11.7.2013	63	200
4	12.2.2014	68	1500
		कुल राशि	**3000**

लेखा परीक्षा के दौरान आपत्ति उठाये जाने पर उपरोक्त राशि ₹3000/– को दिनांक 3.8.2015 को सम्बन्धित बैंक खाते एवं रोकड़ बही में जमा कर दिया गया। अतः ऐसी त्रुटियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लेखों की सुदृढ़ आँतरिक जाँच सुनिश्चित की जाए।

7 ₹1575/– की कम वसूलीः–

वर्ष 2014–15 के दौरान छात्रों से लाईब्रेरी निधि ₹50/– प्रति समैस्टर प्राप्त किया जाना था। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रथम समैस्टर के निधि प्राप्त करते समय छात्रों से ₹50/– लाइब्रेरी निधि प्राप्त किया गया था लेकिन माह 3/2015 में दूसरे समैस्टर के निधि प्राप्त करते समय ₹25/– प्रति छात्र लाईब्रेरी निधि प्राप्त किया गया था जबकि ₹50 प्रति छात्र लाईब्रेरी निधि प्राप्त किया जाना था। ₹50 प्रति छात्र लाइब्रेरी निधि प्राप्त करने के स्थान पर ₹25 प्रति छात्र लाईब्रेरी निधि प्राप्त करने पर 63 छात्रों से ₹25 प्रति छात्र की दर से ₹1575 (₹25X63) की कम वसूली की गई थी। लाईब्रेरी निधि की कम वसूली बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा कम वसूल की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

8 ₹1850000/– के ऋण की वसूली न करना

निदेशक, तकनीकी शिक्षा के पत्र संख्या एस0टी0वी0 (टी0ई0) एच–सी (1)–1/बी0ए0 III/12–13–32421 दिनांक 13.6.2013 द्वारा क्रमशः ₹150000/– व ₹35000/– का ऋण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वारघाट को भुगतान करने हेतु कहा गया था। उपरोक्त ऋण श्रीमती रानी देवी अनुदेशिका सिलाई एवं कटिंग व एक चपड़ासी/चौकीदार अस्थाई तौर पर रखने पर उनके वेतन भुगतान हेतु स्वीकृत किया गया था। ऋणों की उपरोक्त भुगतान की गई राशि ₹185000/– की लेखा परीक्षा होने तक वसूली नहीं की गई थी। अतः ऋण के रूप में उपरोक्त भुगतान की गई राशि ₹185000/– की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाएं।

9 कार्यालय में कार्यरत चौकीदार व सफाई कर्मचारी के छात्र निधियों से किए गये भुगतान की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करना

औक्द्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरठी के छात्र निधियों से कार्यालय में कार्यरत्त श्री संदीप कुमार चौकीदार व श्री अच्छर सिंह सफाई कर्मचारी के वेतन का भुगतान छात्र निधियों से किया जा रहा था जिसकी निदेशक तकनीकी शिक्षा कार्यालय से समय–समय पर प्रतिपूर्ति भी की जा रही थी। कार्यालय स्त्तर पर यह अभिलेख तैयार नहीं किया गया था कि निधियों से उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन व भत्तों का कितना भुगतान किया गया, कितनी राशि की निदेशक, तकनीकी शिक्षा कार्यालय द्वारा प्रतिपूर्ति की गई व कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की जानी शेष है। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान किये गये उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान व प्रतिपूर्ति की गई राशि का विवरण तैयार करके बकाया प्रतिपूर्ति राशि की तकनीकी शिक्षा निदेशालय से प्राप्ति करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

10 विद्यार्थियों का बीमा न करवानाः–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों से वर्ष 2014–15 के दौरान बीमा निधि की प्राप्ति की गई थी लेकिन विद्यार्थियों का बीमा नहीं करवाया गया था। बीमा निधि प्राप्त करके विद्यार्थियों का बीमा न करवाना गम्भीर अनियमितता है। इससे एक तो विद्यार्थियों से बीमा निधि प्राप्त करने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया दूसरे यदि किसी विद्यार्थी की इस अवधि में कोई दुर्घटना हो जाती तो उसे बीमा राशि का लाभ भी नहीं मिल पाता। अतः विद्यार्थियों से बीमा निधि प्राप्त करके बीमा न करवाने बारे स्थिति स्प्ष्ट की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार नियमित रूप से विद्यार्थियों का बीमा करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

11 चालान द्वारा बैंक में जमा राशियों का कोष कार्यालय से मिलान न करना

लेखा परीक्षा के दौरान जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान विद्यार्थियों से शैक्षणिक शुल्क प्रवेश शुल्क इत्यादि की प्राप्त राशियों को चालानों के माध्यम से समय–समय पर बैंक में जमा तो किया गया किन्तु चालानों द्वारा बैंक में जमा राशियों का मिलान कोष कार्यालय से नहीं किया गया जिस कारण इन चालानों द्वारा जमा करवाई गई राशियों का वास्तविक सत्यापन सम्भव नहीं हो सका। अतः लेखा परीक्षा अवधि से सम्बन्धित अपेक्षित मिलान अब करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में यह मिलान समय–समय पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 स्थाई व अस्थाई सामान का अलग–अलग स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा निधियों से क्रय किये गये स्थाई व अस्थाई सामान के अलग–अलग स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव नहीं किया गया था जबकि प्रक्रियानुसार स्थाई व अस्थाई मदों का पृथक–पृथक स्टॉक रजिस्टर तैयार करना सुविधाजनक है। अतः तुरन्त प्रभाव से सभी निधियों के स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर अलग–अलग तैयार किए जाऐं व प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके स्टॉक प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि यह सुगमता से ज्ञात हो सके कि संस्थान के पास अमुक तिथि को अमुक वस्तु की कितनी प्रमात्रा उपलब्ध है/थी।

13 स्टॉक व स्टोर में पड़े शेष सामान का भौतिक सत्यापन न करवानाः–

संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि में स्टोर व स्टॉक में पड़े सामान का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 140 (2) के अनुसार यह सत्यापन वर्ष में एक बार किया जाना अपेक्षित है। अतः अपेक्षित सत्यापन यथाशीघ्र करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस सन्दर्भ में कार्यवाही उपरोक्त नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए।

14 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई।

15 निष्कर्षः– लेखाओं के रख रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)(11) (12) 109/02 खण्ड–2–7005–7007 दिनांक,03.12.2015 शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग, हि0प्र0 सरकार शिमला–171002
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

पंजीकृत 3. प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरठी, जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण करके एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.